

प्रकरण सं०.....72/2016

निर्णय दिनांक 07/12/2016

सरकार बनाम.....अमालखां पुत्र मोहम्मदखां

प्रकरण का प्रकार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी.....जालवाली..... की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू की गई ।


अप्रार्थी श्री.....अमालखां..... पुत्र श्री.....मोहम्मदखां..... जाति.....सुसलमान.....  
साकिन.....जालवाली..... ग्राम.....जालवाली..... खसरा नं.....805/514.....  
जो कि रिकार्ड में.....773..... भूमि दर्ज है में से.....6.00..... हे० भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है ।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किय गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उका भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है ।

अतः अप्रार्थी श्री.....अमालखां..... को नाजायज कब्जा करने पर ग्राम..... के खसरा नं.....805/514..... रकबा.....6.00..... हे० भूमि का सम्वत् 2073 का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक हेक्टेयर की कुल दर रूपये.....0.55..... की दर से.....6.00..... हे० का 20 गुणा रूपये.....66/अक्षरे रूपये.....दिया सह माता - तावान कायम किया जाता है तथा उका अतिक्रमी का तुरन्त..... भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट पेश करें तथा मॉग कायमी टी.आर.को दर्ज करवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक.....07/12/2016..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

  
नायब तहसीलदार(राजस्व)  
बीकानेर